

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 115]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2021 — माघ 23, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 फरवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-40/2008/18. — छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा नगर पंचायत चिखलाकसा में सम्मिलित ग्राम पंचायत/ग्राम कारुटोला, झरनदल्ली (भोयरटोला), कुंजामटोला की सीमा को नगर पंचायत चिखलाकसा, जिला-बालोद की सीमा से पृथक करता है :-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. दुबे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 12 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 1-40/2008/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-40/2008/18 दिनांक 12-02-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. दुबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 12th February 2021

NOTIFICATION

No. F 1-40/2008/18. — In exercise of the powers conferred by section 5-(A) of Chhattisgarh Municipal Act 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby denotify the limits of Gram Panchayat/Gram Karutola, Jharandalli (Bhoyartola), Kunjamtola from the limits of Nagar Panchayat Chikhalakasa.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H. R. DUBEY, Deputy Secretary.